मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/फल सब्जी/212/पार्ट/ 600 भोपाल, दिनांक 28/08/2024

प्रति,

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय, ...(समस्त)।

विषय - फल सब्जी मंडी प्रांगण में मंडी फीस के नियमानुसार उद्ग्रहण के संबंध में।
संदर्भ - समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक 09-09-2024 में प्रकाशित समाचार।

संदर्भित समाचार की छायाप्रति संलग्न है, कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त समाचार में उल्लेखित कथित अनियमितताओं के संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कृषि उपज मंडी समितियों के फल सब्जी मंडी प्रांगण में मंडी फीस उद्ग्रहण के संबंध में प्रभावशील, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं फल सब्जी विपणन के लिए उपविधि, 2000 के प्रावधानों का शब्दशः पालन सुनिश्चित कराया जाए; देय मंडी फीस का शत प्रतिशत उद्ग्रहण / संग्रहण सुनिश्चित कराया जाए। इस संबंध में आपके द्वारा फल सब्जी मंडी प्रांगणों के समय-समय पर निरीक्षण भी किए जाए तथा फल सब्जी मंडी प्रांगण में मंडी फीस संग्रहण में किसी कमी की स्थिति में इनके कारणों का परीक्षण एवं निवारण कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जाएं।

इन प्रावधानों के अपालन के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त समाचार / शिकायतों पर तत्काल अग्रसक्रिय होकर निराकरण - प्रतिबंधात्मक कार्यवाही / दंडात्मक कार्यवाही / अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएं। इन प्रावधानों के अपालन की स्थिति प्रकाश में आने पर आंचलिक अधिकारी के उत्तरदायित्व निर्धारण का निर्णय भी लिया जा सकेगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन अनुसार)

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

25/09/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/फल सब्जी/212/पार्ट/ 601 **भोपाल, दिनांक** 28/10/2024

प्रतिलिपि- **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -**

1. उप संचालक (स्थापना), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

2. उप संचालक (शिकायत), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल। कृषि उपज मंडी भोपाल से संबंधित प्रकरण विशेष की जांच करा लिए जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित। यह भी लेख है कि प्रावधानों के अपालन के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त समाचार / शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लिया जाकर यथासमय योग्य कार्यवाही तत्काल की जाए।

3. चीफ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय। वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

4. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ...(समस्त)। अधिनियम एवं उपविधि के प्रावधानों का शब्दशः पालन करने हेतु प्रेषित।

5. गार्ड फाइल।

28/10/24

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

दैनिक भास्कर
डीबी स्टार भोपाल 09-09-2024

करौंद मंडी यानी वसूली का अड्डा... डीबी स्टार रिपोर्टर ने सात दिन तक रोज सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक मंडी परिसर में रुककर देखी अवैध वसूली की हकीकत

सरकारी रिकॉर्ड में मंडी में रोज का राजस्व सवा लाख हकीकत में यहां हर घंटे 1.80 लाख की अवैध वसूली

DB Star STING

भोपाल

पं. लक्ष्मीनारायण शर्मा कृषि उपज मंडी, करौंद। जो सालों से अवैध वसूली का अड्डा भी है। दरअसल, मंडी से फल-सब्जियां खरीदकर निकलने वाले व्यापारियों से कुल सामान का 1% मंडी फीस ली जाती है। इस हिसाब से मंडी को 24 घंटे में सवा लाख रुपए राजस्व प्राप्त होता है। ऐसा दावा मंडी के अफसर और उनका रिकॉर्ड कह रहा है। जबकि हकीकत में यहां हर घंटे 1.80 लाख रुपए (औसतन) की खुलेआम वसूली की जा रही है। मंडी के दोनों गेट पर हो रही वसूली व्यवस्था को डीबी स्टार रिपोर्टर ने लगातार सात दिन तक सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक यहीं रुककर अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। मंडी शुल्क के लिए निर्धारित पॉइंट के अलावा भी कई स्थानों पर 'वसूली भाई' उगाही करते नजर आते हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि मंडी में जिन पॉइंट्स पर व्यापारियों से राजस्व लिया जा रहा था, वहां मंडी के कर्मचारियों की जगह बाहरी तत्व सक्रिय नजर आए। जब वसूली करने वालों की पड़ताल की तो पता चला कि उगाही करने के लिए तो मंडी समिति ने तीन अलग-अलग शिफ्टों में 3-3 कर्मचारियों को लगा रखा है। लेकिन मौके पर तो एक साथ अलग-अलग पॉइंट पर 4-4 लोग वसूली करते दिखे। डीबी स्टार ने मंडी सचिव आरपी गुप्ता से इनके बारे में पूछा तो- जवाब मिला ये तुलाई कार्य से जुड़े कर्मचारी हैं, जिन्हें मंडी शुल्क वसूलने में भी लगाया जाता है। जब हमने उन्हें फोटो-वीडियो दिखाकर इनके नाम जानना चाहे तो वे जानकारी देना तो दूर किसी एक को भी पहचान नहीं पाए। जबकि मंडी से हर सेकंड सामान लेकर निकलने वाले ठेले, ऑटो, मिनी ट्रक से 20 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की वसूली चल रही है। हालांकि यहां वसूली की कोई सीमा तय नहीं है। गेट पर सक्रिय लोग जो राशि बोल दें, वो देना ही है। यदि कोई बहस करता है तो आसपास खड़े 'वसूली भाई' के गुर्गे घेरकर रंगदारी दिखाने लगते हैं। इधर, *मंडी सचिव आरपी गुप्ता का कहना है कि मंडी परिसर में नियमानुसार ही राजस्व की वसूली की जा रही है। रही बात रसीद नहीं देने की तो कई बार लोग जल्दबाजी में रसीद लेकर ही नहीं जाते। इसमें हमारी गलती नहीं है।*

ये हैं मंडी के 'वसूली भाई', जिन्हें मंडी सचिव तुलाई से जुड़े कर्मचारी बता रहे हैं, लेकिन जब रिपोर्टर ने इनके फोटो दिखाकर उनसे इनके नाम पूछे तो वे बगले झांकने लगे

शुरुआती तीन घंटे तीसरी आंख से छिपकर होती रही उगाही

सुबह 4 बजे मंडी के मेन गेट से खरीदी करके ज्यादातर व्यापारी दूसरे गेट की ओर जाते दिखे। पास जाकर देखा तो गेट बंद था। यहां से 100 मीटर पहले एक टीन शेड के नीचे वसूली हो रही थी। वसूली कर रहे लोग कैमरों की रेंज से काफी दूर से वाहनों को बाहर निकाल रहे थे। यहां से थोड़ी-थोड़ी देर में सभी तरह के वाहन फल-सब्जियां लेकर निकल रहे थे। यहां भी अज्ञात तत्व मनमानी वसूली कर रहे थे। उनके पास रसीद नहीं थी। यह सिलसिला तड़के 4 से सुबह 8 बजे तक देखने को मिला। दूसरी तरफ के गेट खुलने के बाद शेड से वसूली बंद कर दी गई।

मेन गेट पर 4-4 लोग बिना रसीद दिए कर रहे थे वसूली

सुबह 8:05 बजे मंडी के मुख्य गेट पर बने काउंटर के अंदर दो कर्मचारी बैठे थे। गेट के आसपास 5-6 लोग मंडी से निकलते वक्त कतार में आगे बढ़ रहे वाहनों के पास जाकर बिना रसीद दिए वसूली कर रहे थे। इसी दौरान यहां एक पुलिस का जवान आ पहुंचा। जो बहस करने वाले कारोबारियों को शांत कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी वसूली करने वालों और व्यापारियों के बीच बार-बार विवाद होता रहा। डीबी स्टार ने यहां तो हर सेकंड एक वाहन बाहर निकलता नजर आ रहा था। जिनसे 20 रुपए से 1500 रुपए तक की वसूली होती रही।

ऐसे समझें वसूली का गणित...

हमने मंडी में उगाही का खेल लगातार 8 घंटे रुककर देखा। इस दौरान वाहनों से की जा रही वसूली का हिसाब लगाया गया तो महज एक घंटे का आंकड़ा डेढ़ लाख को पार कर गया। प्रत्येक वाहन से औसतन 50 रुपए वसूली का हिसाब लगाया जाए तो हर सेकंड गुजरने वाले वाहनों से प्रति मिनट 3 हजार रुपए की उगाही हो रही थी। जबकि 1 घंटे में यह आंकड़ा 1.80 लाख रुपए हो गया। इस हिसाब से शुरुआत के 8 घंटे में ही वसूली का आंकड़ा 14.40 लाख रुपए तक जा पहुंचा। इधर, मंडी प्रबंधन तो यहां 24 घंटे में मात्र एक से सवा लाख रुपए की वसूली की बात कह रहा है, जो कि हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहा है।

चैक कराएंगे, सख्त एक्शन लेंगे

करौंद मंडी में यदि बाहरी तत्वों द्वारा वसूली कराई जा रही है तो इसे हम चैक कराएंगे। वसूली करने वालों पर कार्रवाई के साथ ही वसूली कराने वालों पर भी सख्त एक्शन लेंगे।
- कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर